न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी :–गोपाल परिहार आर.ए.एस

प्रकरण –राजस्व वाद संख्या 68/2012

वादीगण

1. केवलराम पुत्र श्री भगवानराम
2. सांवलराम पुत्र श्री भगवानराम
3. सुजाराम पुत्र श्री भगवानराम

जातियान पटेल निवासी रोहिचा खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नेमाराम पुत्र भगवानराम
2. गिरधारी पुत्र भगवानराम के कायम मुकाम:

   2/1 राजाराम पुत्र गिरधारी

   2/2 संजय पटेल पुत्र गिरधारी

   2/3 समदादेवी पत्नी गिरधारी
3. रामलाल पुत्र श्री भगवानराम
4. भगवानराम पुत्र श्री पुनमाराम

सभी जातियान पटेल निवासी रोहिचा खूर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर।

5. तहसीलदार, लूणी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री मोतीसिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री दुदाराम अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से, श्री उरजाराम अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 03 से 04 की ओर से एवं राजकीय पैरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 6/1/2021

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व निरस्त करने बंटवारा व म्युटेशन संख्या 108 के अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषिभूमि ग्राम रोहिचा खुर्द पटवार क्षेत्र पीपरली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 364 रकबा 33 विघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 14 रकबा 34 बीघा किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 14/1 रकबा 34 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 364/1 रकबा 33 बीघा किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 134 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि भगवान पुत्र

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पूनमा के नाम दर्ज थी जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का बराबर हिस्सा है। सम्पूर्ण भूमि में बराबर हिस्सा होने के कारण सभी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों से मिलावट होने के कारण भूमि मात्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हुई, जबकि ऐसा बंटवारा कभी भी नहीं किया गया। तथाकथित बंटवारा रेकर्डेड खातेदारान के मध्य नहीं होने से विधिविरूद्ध, फर्जी एवं मनमानापूर्ण है, एवं वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर हिस्सा है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से समझाईस की मिल बैठकर उनके पिता की इच्छा के अनुरूप बंटवारा कर ले, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एडामेन्ट होकर बंटवारा करने को तैयार नहीं है। तथाकथित म्युटेशन संख्या 108 बिना किसी आदेश के भरा गया है। ऐसा कोई दस्तावेज म्युटेशन बुक व पटवारी रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है, जिससे बंटवारा होना प्रकट होता हो। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है, एवं यह स्वीकृत तथ्य है कि इस वाद के किसी भी पक्ष की स्वअर्जित नहीं है। अतः हिन्दु उत्तराधिकार के तहत वाद के सभी पक्षकारान का वादग्रस्त भूमि पर बराबर का हिस्सा है तथा म्युटेशन संख्या 108 निरस्त होने योग्य है। अन्त में वादीगण की यह प्रार्थना है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण बराबर के खातेदार घोषित किये जावें एवं म्युटेशन संख्या 108 ग्राम रोहिचा खुर्द को शुन्य व बेअसर घोषित किया जावे। वादग्रस्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार धोषित की डिक्री भी फरमावें एव स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय जारी की जावे कि वाद पत्र में वर्णित भूमि का प्रतिवादीगण किसी प्रकार से किसी व्यक्ति संस्था आदि को अन्तरण नहीं करे एवं वादीगण के हिस्से के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करें।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

दौराने विचारण उक्त पत्रावली पक्षकारान की सहमति से लोक अदालत केम्प बोरानाडा में दिनांक 8.7.2015 को पेश की गई एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की ओर से प्रतिवादीगण की तरफ से वादपत्र को स्वीकार करने एवं वादग्रस्त भूमि का बंटवारा बाई मिनट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने के लिए सहमति प्रदान की गई।

उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 2 से 4 व वादी द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि का बराबर –बराबर बंटवारा करने के लिए सहमत है तथा म्युटेशन संख्या 108 को शुन्य व बेअसर घोषित किया जावें एवं माफिक बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावें।

दिनांक 16.9.2015 को केम्प कोर्ट में प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादपत्र को मंजूर किये जाने का आदेश दिया गया व राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री किये जाने की सहमति भी पक्षकारान द्वारा दी गई। उपरोक्त राजीनामे के अनुसार पत्रावली में निर्णय दिनांक 09.03.2016 को इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2016 के विरूद्ध

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रतिवादी नेमाराम व गिरधारी के कायम मुकाम ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की। जिस अपील का निर्णय दिनांक 29.05.2017 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा किया गया एवं प्रकरण को इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिया कि वाद के सभी पक्षकारान् को जबाव साक्ष्य सुनवाई का समूचित अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित किया जावें।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.05.2017 की पालना में उक्त वाद पुनः सुनवाई के लिए उसी नम्बर पर दर्ज किया गया एवं पक्षकारान् के अधिवक्ता को सुनवाई के लिए सूचना दी गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी का वाद विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है, वादग्रस्त जायदाद का बंटवाड़ा 40 वर्ष पूर्व किया गया है, उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक नहीं है, वादीगण के पिता ने अपने स्वंय द्वारा अर्जित भूमि का बंटवाड़ा किया है, चालीस वर्ष से अधिक समय हो जाने के पश्चात् यह दावा पोषणीय नहीं है, पैतृक भूमि सम्बन्धी कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, वादग्रस्त भूमि कभी भी पूनमा के नाम नहीं रही, सेटलमेंट के समय से ही भगवानाराम के नाम भूमि दर्ज हुई जो आज भी जीवित है, भगवानराम ने ही बंटवाड़ा कर अपने पुत्रों को उक्त कृषि भूमि बंट में दी है जो आज खातेदार दर्ज है, बंटवाड़ा का जो म्यूटेशन दर्ज हुआ उसके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की है, इत्यादि कथन अपने जबाव में किये है।

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत वाद एंव जबाव दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकी कायम की गई :–

1. आया वादीगण ग्राम रोहिचा खुर्द के खसरा संख्या 364, 364/1, 14/1 एवं 14 के खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादी।
2. आया वादीगण बाई मिण्टस एण्ड बाउण्ड वादग्रस्त जायदाद का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है। जिम्मे वादी।
3. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है। जिम्मे वादी।
4. अनुतोष ?

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह केवलराम पी.डब्ल्यू–1, गवाहन सुजाराम पी.डब्ल्यू–2 एवं गवाह सांवल पी.डब्ल्यू.–3 को इस वाद परीक्षित करवाया। एवं दस्तावेज म्यूटेशन संख्या 108, जमाबंदी, नक्शा किस्तवार दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जबाव के तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने पूर्व में ही इकबाल दावा व राजीनामा पत्रावली पर पेश कर तस्दीक करवाया है।

दोनो पक्षकारान को सुना गया, एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई तनकी संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में इस न्यायालय का विवेचन निम्नानुसार है :–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उपरोक्त तनकी संख्या 1 व 2 परस्पर एक दुसरे से सम्बन्धित है वादीगण ने वादपत्र में प्रकट किया है कि खसरा संख्या 364 रकबा 33.3 बीघा, खसरा संख्या 14 रकबा 34 बीघा, खसरा संख्या 14/1 रकबा 34.6 बीघा एवं खसरा संख्या 364/1 रकबा 33 बीघा ग्राम रोहिचा खुर्द की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की है, वादग्रस्त भूमि भगवाना पीटल के नाम से दर्ज थी एवं तत्पश्चात् भगवाना पुत्र पूनमा के नाम दर्ज हुई, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादीगण को अपने हकूक से वंचित करने के लिए आदि भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी, जबकि भूमि दर्ज करवाते समय वे सहखातेदार नहीं थे एवं कानूनन बंटवाड़ा खातेदारान् के मध्य ही हो सकता है, प्रतिवादीगण ने किसी न्यायालय से अपने नाम भूमि दर्ज करवाने का कोई आदेश/डिक्री जारी नहीं करवाई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के तथ्यों का जबाव पेश कर खण्डन किया एवं यह कथन किया है कि भूमि दर्ज होने के चालीस वर्ष पश्चात् यह वाद पेश किया है तथा कृषि पैतृक नहीं है प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने इकबाल दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के सम्बन्धी तथ्य स्वीकार है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का बराबर हिस्से में बंटवाड़ा करने में सहमत है, म्यूटेशन संख्या 108 बेअसर घोषित किया जावें व राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य किया जाकर उन्हे खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के विरूद्व में प्रतिवादी संख्या एक ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है।

चूंकि प्रतिवादी संख्या दो के वारिस द्वारा पूर्व में राजीनामा इस न्यायालय के समक्ष तस्दीक करवाया है तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक साथ मिलकर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी परन्तु रिमाण्ड के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम द्वारा इस न्यायालय के समक्ष राजीनामा का कोई खण्डन नहीं किया है एवं जो जबाव दावा प्रतिवादी संख्या एक साथ मिलकर पेश किया है उसके समर्थन में कोई साक्ष्य दोनों प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। दौरान् सुनवाई प्रतिवादी संख्या 4 भगवानराम ने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह सम्पूर्ण भूमि को अपने सभी पुत्रों बराबर देना चाहता है ताकि भविष्य में इनके मध्य कोई विवाद नहीं रहे। जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सहमत थे परन्तु दो की मृत्यु होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक मुकर गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने राजीनामा को तस्दीक करवाते समक्ष वादीगण वाद स्वीकार करने एवं वादीगण को भी बराबर हिस्से में खातेदार दर्ज करने के कथन किये है जिन कथनों को इस न्यायालय द्वारा तस्दीक भी किया है इसलिए इन कथनों को नहीं मानने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। वादीगण के साक्ष्य अखण्डित है एवं काउन्टर साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। इसलिए भी वादीगण द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है उसको नहीं मानने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है इस प्रकार से तनकी संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य व साक्ष्य अखण्डित होने के कारण उपरोक्त दोनों तनकी विनिश्चय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

तनकी संख्या 3 उपरोक्त तनकी स्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में है। चूंकि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार वादीगण का हिस्सा वादग्रस्त भूमि दर्ज करवाने व उन्हे खातेदार घोषित करवाने की स्वीकारोक्ति दी है इस कारण तनकी संख्या 3 भी इस निर्णय के सम्पूर्ण विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

अतःमाननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशो की पालना मे समस्त पक्षकारान को मुल वाद बाबत अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने तद्नुसार तनकियात कायम पर साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया गया। तर्क संगत विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर ग्राम रोहिचा खूर्द नामान्तरकरण सख्या 108 निरस्त किया जाता है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण को ग्राम रोहिचा खुर्द पटवार क्षेत्र पीपरली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 364 रकबा 33 बिघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 14 रकबा 34 बीघा किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 14/1 रकबा 34 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 364/1 रकबा 33 बीघा किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 134 बीघा 9 बिस्वा का बराबर हिस्से में खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/7 हिस्से का खातेदार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान का नाम दर्ज कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा तैयार कर जारी किया जावे।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी, (जोधपुर)

यह निर्णय आज दिनांक 6/1/2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी (जोधपुर)